

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—122/20 (2020/00219) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. लच्छु पिता गोकल गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पिता मोडा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भागा पिता मोडा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लालु पिता हजारी गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बद्रीलाल पिता रामा बैरवा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शंकरलाल पिता रामा बैरवा निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. जेसुराम पिता रामा बैरवा निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

## प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन —

प्रार्थी अधिवक्ता

दिनांक 03.11.2020

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप में विवरण इस प्रकार है ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 67 में अकिंत आराजी संख्या 459 रकबा 1.08 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थी को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थी ने दिनांक 20.09.2020 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 08.10.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से







न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—122/20 (2020/00219) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. लच्छु पिता गोकल गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. नारायण पिता मोडा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भागा पिता मोडा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. लालु पिता हजारी गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. बद्रीलाल पिता रामा बैरवा गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. शंकरलाल पिता रामा बैरवा निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. जेसुराम पिता रामा बैरवा निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :-तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढी कराने बाबत


उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 29.10.2020 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम थोरियाखेड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 67 में अकिंत आराजी संख्या 459 रकबा 1.08 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी शुल्क 200/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 500/-रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी पत्थरगढी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढी अगर प्रार्थी की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।



  
3-11-2020  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक रायपुर जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)